उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-28/2016/सीपी 674/84-2-2016-सीपी 29/96
लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2016 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 में नियम 6 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(क) राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा। कोई सदस्य यदि वह पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 20910/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा।	(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा। कोई सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 20910/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा किन्तु ऐसे पूर्णकालिक सदस्य जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा / भारतीय प्रशासनिक सेवा / उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से सेवानिवृत्त हुए हों समेकित पेंशन (राशिकरण से पूर्व) की धनराशि घटाकर अंतिम आहरित वेतन की धनराशि के समतुल्य धनराशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेगें जो वह अंतिम आहरित वेतन की धनराशि से अधिक नहीं होगी

आज्ञा से
कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

.....2.....

संख्या-28 /2016/सीपी 674/84-2-2016-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड - ख में दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित करने का कष्ट करें और इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित 1500 (एक हजार पांच सौ) प्रतियां अनुभाग अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय, कक्ष संख्या-95 , नवीन भवन, लखनऊ को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

गया प्रसाद कमल
विशेष सचिव।

संख्या-28 /2016/सीपी 674/84-2-2016-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष एवं सदस्यगण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(10) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(11) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य / महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanrakshan Evam Bant Map Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 28 /2016/C.P 674 /84-2-2016-C.P. 29/96 dated :: 27 December, 2016

NOTIFICATION

No. 28/2016/C.P 674 /84-2-2016-C.P. 29/96
Lucknow :: Dated :: 27 December, 2016

In exercise of powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 :-

The Uttar Pradesh Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Rules, 2016

Short title and commencement	1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Rules, 2016.
	(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Amendment of rule 6	2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 in rule 6 in sub-rule (1), for clause (a) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

	Column 1		**Column 2**
	Existing Clause		***Clause as hereby substituted***
(a)	The President of the State Commission shall receive the salary of the judge of the High Court if appointed on whole time basis. A Member if sitting on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 20910/- per month.	(a)	The President of the State Commission shall receive the salary of the judge of the High Court if appointed on whole time basis. A Member if sitting on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 20910/- per month but the whole time members who have retired from the Uttar Pradesh Higher Judicial Service/Indian Administrative Service/Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), shall get the amount equal to amount of last pay drawn after deducting the amount of consolidated pension (before commutation) in the form of honorarium which shall not be greater than the amount of last pay drawn.

BY ORDER,
KUMAR ARVIND SINGH DEV
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।